भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3094
दिनांक 06 अगस्त, 2026

सीबीजी उत्पादन के लिए सैटैट और गोबरधन पहलों का कार्यान्वयन

†3094. **श्री यदुवीर वाडियारः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सतत् किफायती परिवहन की ओर टिकाऊ विकल्प (सैटैट) और जैविक जैव-कृषि संसाधनों का संवर्धन (गोबरधन) पहल के तहत स्थापित संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों को प्रभावित करने वाली फीडस्टॉक की उपलब्धता, एकत्रीकरण और आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त पहलों के तहत स्वीकृत, चालू किए गए और संचालित सीबीजी संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा फीडस्टॉक या पाइपलाइन कनेक्टिविटी संबंधी बाधाओं का सामना करने वाले संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे संयंत्रों के लिए बायोमास एकत्रीकरण तंत्र और दीर्घकालिक फीडस्टॉक आपूर्ति व्यवस्था का डेटा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) फीडस्टॉक एकत्रीकरण, पाइपलाइन कनेक्टिविटी को मजबूत करने तथा सीबीजी संयंत्रों का निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): स्थानीय उपलब्धता और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर फीडस्टॉक का चयन और इसकी एकत्रीकरण व्यवस्था संबंधित सीबीजी परियोजना के विकासकर्ता की जिम्मेदारी है। सरकार आवधिक आधार पर राज्य सरकारों, तेल और गैस विपणन कंपनियों (ओजीएमसीज़), सीबीजी के विकासकर्ता और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से सीबीजी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। इन परामर्शों के दौरान, फीडस्टॉक उपलब्धता, बायोमास एकत्रीकरण और आपूर्ति-श्रृंखला रसद से संबंधित मुद्दों सहित बायोमास की मौसमी उपलब्धता, बिखरे हुए फीडस्टॉक का संग्रह और परिवहन, भंडारण और बायोमास के प्रतिस्पर्धी उपयोग की पहचान की गई है और उचित नीति और सुविधा-संबंधी उपायों के माध्यम से इसका समाधान किया जाता है।

गोबरधन पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 31 जुलाई, 2026 तक 217 सीबीजी संयंत्र कमीशन किए जा चुके हैं। कमीशन किए गए सीबीजी परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

सीबीजी परियोजना विकासकर्ता स्थानीय उपलब्धता और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर बायोमास एकत्रीकरण मॉडल को अपनाते हैं, जिसमें किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, स्थानीय विक्रेताओं के साथ, या अपने स्वयं के एकत्रीकरण तंत्र के माध्यम से दीर्घकालिक फीडस्टॉक आपूर्ति व्यवस्था शामिल है।

बायोमास एकत्रीकरण, पाइपलाइन कनेक्टिविटी और सीबीजी संयंत्रों के निरंतर प्रचालन को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी (बीएएम) योजना: पात्र मशीनरी की अधिप्राप्ति लागत के 50 प्रतिशत पर बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की अधिप्राप्ति के लिए पात्र सीबीजी संयंत्र को 9 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अधिकतम 90 लाख प्रति सेट के अधीन है।

(ii) फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना: इस योजना के अंतर्गत फसल अवशेषों के संग्रहण, एकत्रीकरण और उपयोग में सहायता करने के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत, सीमा शुल्क किराए पर लेने वाले केन्द्रों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत और धान आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं के लिए 65 प्रतिशत (1.50 करोड़ रुपए तक) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) पाइपलाइन अवसंरचना का विकास (डीपीआई) योजना: सीबीजी संयंत्रों/क्लस्टरों और सीजीडी अथवा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के बीच समर्पित पाइपलाइन कनेक्टिविटी के विकास के लिए पात्र कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि सीबीजी निकासी को सुकर बनाया जा सके।

(iv) मॉडल राज्य सीबीजी नीति: राज्यों/(संघ राज्य क्षेत्रों) संघ राज्य क्षेत्रों को निवेश को सुविधाजनक बनाने, अनुमोदनों को कारगर बनाने, फीडस्टॉक उपलब्धता में सुधार करने और सतत सीबीजी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल राज्य सीबीजी नीति परिचालित की गई है।

(v) पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई): सीबीजी परियोजनाओं के विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु एसएएससीआई योजना के अंतर्गत एक सीबीजी क्षेत्र सुधार घटक शुरू किया गया है।

'सीबीजी उत्पादन के लिए सैटैट और गोबरधन पहलों का कार्यान्वयन' के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को श्री यदुवीर वाडियार द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3094 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

चालू किए गए सीजीडी संयंत्र की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार जानकारी (दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सीजीडी संयंत्र
आंध्र प्रदेश	9
बिहार	2
छतीसगढ़	3
दिल्ली	3
गोवा	1
गुजरात	27
हरियाणा	22
झारखंड	1
कर्नाटक	22
केरल	1
मध्य प्रदेश	14
महाराष्ट्र	27
ऑडिशा	1
पंजाब	11
राजस्थान	12
तमिल नाडु	8
तेलंगाना	7
उत्तर प्रदेश	41
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	1
कुल योग	**217**

(स्रोत: गोर्बधन पोर्टल)